

## कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।

संख्या-157 /जिला गंगा समिति/एन0जी0टी0 (2025-26) नई टिहरी दिनांक 01 दिसम्बर, 2025

प्रेषक,

जिलाधिकारी,  
टिहरी गढवाल।

प्रेषित,

रजिस्ट्रार जनरल,  
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण,  
प्रधान पीठ, नई दिल्ली।

विषय:-

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-961/2024 नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महादेय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली, में योजित ओ0ए0 नं0- 961/2024 में पारित आदेश दिनांक 26.05.2025 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 05 मैसर्स ओशो गंगा धाम(जानकी कुटिया) को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नोटिस संख्या- UKPCB/ROD/NGT-121/2024-25/2581-1325 दिनांक 13.11.2024, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल के द्वारा नोटिस संख्या- एफ0एस0/नि0अ0/2023 दिनांक 13.11.2024, अग्निशमन अधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल द्वारा नोटिस संख्या FS/Na/2023 दिनांक 13.11.2024 एवं जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढवाल के द्वारा नोटिस संख्या 865/40-29/PETO/2024-25 दिनांक 14.11.2024 के माध्यम से नोटिस जारी किये गये थे।

उपरोक्त अधिकारियों को उक्त उल्लिखित नोटिसों पर यथाशीघ्र उचित कार्यवाही करने हेतु आदेश पारित किये गये थे। अधोहस्ताक्षरी को उक्त अधिकारियों/विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही को मॉनीटर करने एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट को मा0 प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये गये थे।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों के अनुपालन के क्रम में प्रकरण में की गयी नवीनतम कार्यवाही की रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।



(नितिका खण्डेलवाल) 1/1/25  
जिलाधिकारी,  
टिहरी गढवाल।

नितिन देव  
बनाम  
उत्तराखण्ड सरकार  
तथ्यात्मक आख्या

1. मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली, में योजित ओ0ए0 नं0-961/2024 में दिनांक-26.05.2025 को पारित आदेश के क्रम में अपर जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, उत्तराखण्ड, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन अधिकारी, नरेन्द्रनगर, जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल तथा अग्निशमन अधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल को मा0 प्राधिकरण के निर्देशानुसार कार्यवाही करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। (संलग्न:-पत्र संख्या-102/जिला गंगा समिति/टि0ग0 दिनांक- 11.06.2025)
2. अभिहित अधिकारी, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, टि0ग0 के पत्र संख्या-एफ.डी.ए./कोर्ट केस/44/2025/172 दिनांक 16.06.2025(संलग्न) के द्वारा अवगत कराया गया है, कि मै0 ओशो गंगाधाम (जानकी कुटिया) के द्वारा फूड लाईसेंस प्राप्त न होने की दशा में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 31(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का खाद्य कारोबार बिना अनुज्ञप्ति के नहीं कर सकता है। बिना अनुज्ञप्ति खाद्य कारोबार करने पर कारोबारकर्ता खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 63 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डनीय होने के कारण माननीय न्यायालय न्याय निर्णयक अधिकारी में दिनांक 05.12.2024 को अभियुक्त के विरुद्ध उचित कार्यवाही हेतु वाद दायर किया गया। उक्त प्रकरण में मा0 न्यायालय निर्णयक अधिकारी द्वारा कारोबारकर्ता पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(1), 26(2)(v), 26(3) (b) धारा-31 एवं अनुसूची 4 जो कि धारा - 55,56,58 व 63 का उल्लंघन करने पर दोषी साबित होने पर श्री मनोज पुत्र श्री रमेश चन्द्र प्रबन्धक, श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट(ओशोगंगा धाम) ब्रह्मपुरी लीज नं0- 52 बद्रीनाथ मार्ग, जनपद टिहरी गढ़वाल को रुपये 5000.00 (पाँच हजार) से दण्डित किया गया। वर्तमान में संस्थान के द्वारा खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पंजीकरण कर लिया गया है जो कि दिनांक- 26.11.2030 तक वैध है।(संलग्न:- (Fssai) खाद्य सुरक्षा पंजीकरण प्रमाण पत्र)
3. जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या-774/पेट्रोलियम अनु0/2025-26/दिनांक-13.08.2025(संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, चौदहबीघा के द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2025 को जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट(ओशोगंगा धाम) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय भोजनालय में एल0पी0जी0 का कमर्शियल सिलेण्डर संयोजित था। इस कमर्शियल सिलेण्डर के कागजात मांगने पर उनके द्वारा कमर्शियल सिलेण्डर का रजिस्ट्रेशन उपलब्ध कराया गया। मै0 उमा गैस सर्विस, ऋषिकेश द्वारा दिनांक 18.11.2024 को मै0 जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट, ब्रह्मपुरी, ऋषिकेश को कमर्शियल कनेक्शन निर्गत किया गया है तथा उनके द्वारा दिनांक 18.11.2024 एवं दिनांक 03.04.2025 को एल0पी0जी0 रिफिल करवायी गयी है।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के पत्र-यूकेपीसीबी/आरओडी /सा-(III)/ दिनांक 25.10.2025 (संलग्न) के अन्तर्गत अवगत कराया गया है, कि ट्रस्ट के प्रतिनिधि स्वामी प्रेम चैतन्य जी की उपस्थिति में दिनांक-04.10.2025 को ट्रस्ट के मेन ऑफिस को

  
\_\_\_\_\_

सील कर दिया गया है, एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल के द्वारा परिसर पर स्थापित विद्युत संयोजन को दिनांक-03.10.2025 को स्थाई विच्छेदन कर दिया गया है।

5. अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन नरेन्द्रनगर के पत्र- एफ0एस0/नि0अ0/2023 दिनांक 08 दिसम्बर 2025(संलग्न) के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, नरेन्द्रनगर के द्वारा दिनांक 05.12.2025 को आशो गंगा धाम (जानकी कुटिया) का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान अपरोक्त संस्थान के द्वारा निम्नलिखित प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है एवं सभी कार्यशील एवं सतोषजनक दशा में पाये गये -

1. ए.बी.सी. फायर एक्सटिंग्यूशर 04 किग्रा0 क्षमता	-	09 अदद।
2. ए.बी.सी. फायर एक्सटिंग्यूशर 06 किग्रा0 क्षमता	-	03 अदद।
3. सी.ओ.2 फायर एक्सटिंग्यूशर 4.5 किग्रा0 क्षमता	-	02 अदद।
4. होजरील	-	02 अदद।
5. फायर अलार्म	-	01 अदद।
6. समरसिबल पम्प	-	01 अदद।
7. रिर्जव वाटर टैंक (5000X02)	-	10,000 ली0।

6. दिनांक-12.12.2025 को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अग्निशमन विभाग, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि आश्रम में विद्युत विभाग द्वारा विच्छेदन किया गया, वह अभी पूर्ववत है, एवं ऑफिस जो कि पूर्व में सील किया गया था, वह भी यथावत् पाया गया। निरीक्षण के दौरान आश्रम में अग्निशमन उपकरणों में होजरील, फायर अलार्म एवं समर-सिबल पम्प के संचालन हेतु विद्युत की आवश्यकता होती है, जिनको 05.12.2025 को अग्निशमन विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था पर उपकरणों की जाँच की गयी तथा शेष अन्य सभी अग्निशमन उपकरणों के संचालन हेतु विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। संयुक्त निरीक्षण के दौरान एक अन्य कक्ष जो कार्यालय के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, को भी सील किया गया, तथा परिसर में रखे D.G.Set को भी सील किया गया है। (संलग्न:-पत्र संख्या-यूकेपीसीबी/आरओडी/एन.जी.टी.-121/3243-2495 दिनांक 16.06.2025)

7. दिनांक 25.12.2025 को राजस्व विभाग द्वारा स्थान ब्रह्मपुरी स्थित जानकी कुटिया धमार्थ ट्रस्ट(ओशोगंगा धाम) का स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि उक्त आश्रम में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत संयोजन विच्छेदन किया गया है। विद्युत विभाग द्वारा आश्रम से विद्युत मीटर भी हटा दिया गया है, आश्रम का कार्यालय कक्ष सील पाया गया है व आश्रम परिषद में एक जनरेटर सेट पाया गया है, उक्त जनरेटर सेट भी सील पाया गया है।

(संलग्न:-पत्र संख्या-734/आर0ए0(जांच आख्या)-2025 नरेन्द्रनगर, दिनांक-26.12.2025)



(नितिका खण्डेलवाल) 11/12/26  
जिलाधिकारी  
टिहरी गढवाल।

## कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।

संख्या- 102 /जिला गंगा समिति टि0ग0/2025-26 नई टिहरी दिनांक

11, जून, 2025

- |  |   |
|--|---|
| 1. क्षेत्रीय अधिकारी,<br>उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,<br>देहरादून, उत्तराखण्ड। | 2. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अधिकारी,<br>नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल। |
| 3. जिला पूर्ति अधिकारी,<br>टिहरी गढवाल।  | 4. अग्निशमन अधिकारी,<br>नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल।                       |

विषय:- मा0एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-961/2024 में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के संबंध में।

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली, में योजित ओ0ए0 नं0- 961/2024 में पारित आदेश दिनांक 26.05.2025 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 05 मैसर्स ओशो गंगा धाम(जानकी कुटिया) को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नोटिस संख्या- UKPCB/ROD/NGT-121/2024-25/2581-1325 दिनांक 13.11.2024, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल के द्वारा नोटिस संख्या- एफ0एस0/नि0अ0/2023 दिनांक 13.11.2024, अग्निशमन अधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल द्वारा नोटिस संख्या FS/Na/2023 दिनांक 13.11.2024 एवं जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढवाल के द्वारा नोटिस संख्या 865/40-29/PETO/2024-25 दिनांक 14.11.2024 के माध्यम से नोटिस जारी किये गये थे।

उपरोक्त अधिकारियों को उक्त उल्लिखित नोटिसों पर यथाशीघ्र उचित कार्यवाही करने हेतु आदेश पारित किये गये हैं।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के उक्त आदेश को संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशानुसार यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न-यथोपरि।

AKC:il  
11/06/2025  
अपर जिलाधिकारी,  
टिहरी गढवाल।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदया की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

AKC:il  
11/06/2025  
अपर जिलाधिकारी,  
टिहरी गढवाल।

o/c



कार्यालय अभिहित अधिकारी खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, टिहरी गढ़वाल  
(हिल टॉप सदन, भवन संख्या-बी010निकट सेक्टर-3बी.निकट मॉडल हाउस, नई टिहरी)  
(do.fssauk.tehri@gmail.com, dotehri-Fda@uk.gov.in)



पत्र संख्या - एफ0डी0ए0/कोर्ट केस/44/2025/172  
प्रेषित,

दिनांक-16 जून, 2025

अपर जिलाधिकारी महोदय  
टिहरी गढ़वाल।

विषय- मा0एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-961/2024 के आदेश के सम्बन्ध में कार्यवाही विषयक।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय-जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या- 102/जिला गंगा समिति टि0ग0/2025-26, नई टिहरी दिनांक 11 जून 2025 के क्रम में प्रतिवादी संख्या 05 मैसर्स ओशो गंगा धाम (जानकी कुटिया नोटिस के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही बिन्दुवत् है:-

1. महोदय आपको अवगत कराना है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेन्द्रनगर द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को समय लगभग 12.45 दोपहर को स्थान ब्रहमपुरी लीज न0-52 बद्रीनाथ मार्ग, जनपद टिहरी गढ़वाल में अवस्थित श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट (ओशोगंगा धाम) का निरीक्षण किया गया जिसमें मौके पर श्री मनोज पुत्र श्री रमेश चन्द्र (प्रबन्धक) उपस्थित थे।
2. मौके पर निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में कामियां पायी जाने एवं कामियों में सुधार करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नरेन्द्रनगर के द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण देने हेतु मौके पर उपस्थित श्री मनोज पुत्र श्री रमेश चन्द्र प्रबन्धक, श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट (ओशोगंगा धाम) को 03 दिनों का समय दिया गया। किन्तु निर्धारित समयवाधि में कारोबारकर्ता श्री मनोज पुत्र श्री रमेश चन्द्र प्रबन्धक द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उक्त निरीक्षण से सम्बन्धित कोई भी स्पष्टीकरण/पत्र नहीं दिया गया जिसके क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नरेन्द्रनगर द्वारा दिनांक 13 नवम्बर 2024 को पुनः अनुस्मारक पत्र विपक्षी को उनके ई-मेल आई0डी0 पर प्रेषित किया गया जिसमें विपक्षी को पुनः स्पष्टीकरण हेतु 03 दिन का समय प्रदान किया गया, किन्तु निर्धारित अवधि के अन्तर्गत भी विपक्षी का कोई भी पत्र/स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध नहीं करवाया गया।
3. महोदय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 31(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का खाद्य कारोबार बिना अनुज्ञापति के नहीं कर सकता है। बिना अनुज्ञापति खाद्य कारोबार करने पर खाद्य कारोबारकर्ता खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 63 के अन्तर्गत जुर्मान से दण्डनीय है। जुर्माने से दण्डनीय होने के कारण माननीय न्यायालय न्याय निर्णयक अधिकारी में दिनांक 05.12.2024 को अभियुक्त के विरुद्ध उचित कार्यवाही हेतु वाद दायर किया गया।
4. उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय न्याय निर्णयक अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26(1), 26(2)(v), 26(3) (b) धारा -31 एवं अनुसूची 4 जो कि अधिनियम की धारा -55, 56, 58 व 63 का उल्लंघन करने पर दोषी साबित होने पर श्री मनोज पुत्र श्री रमेश चन्द्र प्रबन्धक, श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट (ओशोगंगा धाम) ब्रहमपुरी लीज न0-52 बद्रीनाथ मार्ग, जनपद टिहरी गढ़वाल को रुपये 5000.00 (पांच हजार) से दण्डित किया गया।

अतः महोदय अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा उक्त से सम्बन्धित कृत कार्यवाही की सूचना आपको प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

अभिहित अधिकारी,  
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, टि0ग0

दिनांक-16 जून, 2025

पत्र संख्या - एफ0डी0ए0/कोर्ट केस/44/2025/172  
प्रेषित,

अपर जिलाधिकारी महोदय  
टिहरी गढ़वाल।

विषय-  
महोदय,

मा0एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-961/2024 के आदेश के सम्बन्ध में कार्यवाही विषयक।

उपरोक्त विषयक कार्यालय-जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या-102/जिला गंगा समिति टि0ग0/2025-26, नई टिहरी दिनांक 11 जून 2025 के क्रम में प्रतिवादी संख्या 05 मैसर्स ओशो गंगा धाम (जानकी कुटिया नोटिस के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही बिन्दुवत् है:-

1. महोदय आपको अवगत कराना है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेन्द्रनगर द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को समय लगभग 12.45 दोपहर को स्थान ब्रहमपुरी लीज न0-52 बद्रीनाथ मार्ग, जनपद टिहरी गढ़वाल में अवस्थित श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट (ओशोगंगा धाम) का निरीक्षण किया गया जिसमें मौके पर श्री मनोज पुत्र श्री रमेश चन्द्र (प्रबन्धक) उपस्थित थे।
2. मौके पर निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में कामियां पायी जाने एवं कामियों में सुधार करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नरेन्द्रनगर के द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण देने हेतु मौके पर उपस्थित श्री मनोज पुत्र श्री रमेश चन्द्र प्रबन्धक, श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट (ओशोगंगा धाम) को 03 दिनों का समय दिया गया। किन्तु निर्धारित समयवाधि में कारोवारकर्ता श्री मनोज पुत्र श्री रमेश चन्द्र प्रबन्धक द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उक्त निरीक्षण से सम्बन्धित कोई भी स्पष्टीकरण/पत्र नहीं दिया गया जिसके क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नरेन्द्रनगर द्वारा दिनांक 13 नवम्बर 2024 को पुनः अनुस्मारक पत्र विपक्षी को उनके ई-मेल आई0डी0 पर प्रेषित किया गया जिसमें विपक्षी को पुनः स्पष्टीकरण हेतु 03 दिन का समय प्रदान किया गया, किन्तु निर्धारित अवधि के अन्तर्गत भी विपक्षी का कोई भी पत्र/स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध नहीं करवाया गया।
3. महोदय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 31(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का खाद्य कारोबार बिना अनुज्ञापति के नहीं कर सकता है। बिना अनुज्ञापति खाद्य कारोबार करने पर खाद्य कारोबारकर्ता खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 63 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डनीय है। जुर्माने से दण्डनीय होने के कारण माननीय न्यायालय न्याय निर्णयक अधिकारी में दिनांक 05.12.2024 को अभियुक्त के विरुद्ध उचित कार्यवाही हेतु वाद दायर किया गया।
4. उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय न्याय निर्णयक अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26(1), 26(2)(v), 26(3) (b) धारा -31 एवं अनुसूची 4 जो कि अधिनियम की धारा -55, 56, 58 व 63 का उल्लंघन करने पर दोषी साबित होने पर श्री मनोज पुत्र श्री रमेश चन्द्र प्रबन्धक, श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट (ओशोगंगा धाम) ब्रहमपुरी लीज न0-52 बद्रीनाथ मार्ग, जनपद टिहरी गढ़वाल को रूपये 5000.00 (पांच हजार) से दण्डित किया गया।

अतः महोदय अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा उक्त से सम्बन्धित कृत कार्यवाही की सूचना आपको प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

o/c अभिहित अधिकारी,  
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, टि0ग0

  
D.P.O. Namami Ganga



**Registration Certificate**  
**Government of Uttarakhand**  
**Department of Food Safety**  
**Food Safety and Standards Authority of India**  
**Registration Certificate under FSS Act, 2006**



उत्तराखण्ड शासन

पंजीकरण संख्या / Registration Number: **22625066000271**



- |  |   |
|--|---|
| 1. Name and permanent address of Food Business Operator (FBO) / खाद्य व्यापार ऑपरेटर का नाम और स्थायी पता:             | SHRI JANKI KUTIYA DHARMARTH TRUST<br>LEESE NO- 52 BRHAMPURI, TAPOVAN ,<br>Tapowan , Narendranagar, Tehri Garhwal,<br>Uttarakhand-249192 |
| 2. Address of location where food business is to be conducted / premises / स्थान का पता जहां खाद्य व्यापार / परिसर है: | LEESE NO- 52 BRHAMPURI, TAPOVAN,<br>Tapowan, Narendranagar, Tehri Garhwal,<br>Uttarakhand - 249192                                      |
| 3. Nearest Landmark / निकटतम स्थलचिह्न:  | BRHAMPURI   |
| 4. Kind of Business / कारोबार का प्रकार:   | Food Vending Establishment  |
| 5. Photo Identity Card / फोटो पहचान पत्र(विवरण) :  | N/A   |



This Registration certificate is issued under and is subject to the provisions of FSS Act, 2006 all of which must be complied with by the petty food business. / यह पंजीकरण खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन अनुदत्त की गई और वह अधिनियम के उपबंधों के अध्यादीन है जिनका अनुज्ञापिधारी द्वारा अवश्य पालन किया जाना चाहिए.

Place / स्थान: Tehri Garhwal

Issued On / दिनांक: 27-11-2025 (New Registration)

Valid Upto / वैधता: 26-11-2030 (For details, refer Annexure)

**Registering Authority,**

Date : 27-11-2025 15:58:55

User Id : 109276

License Issued On : 27-11-2025 15:58:55

**Annexures:**

1. [Product Annexure](#)
2. [Validity Annexure](#)
3. [Registration Id Card](#)

To download 'Food Safety Connect' App, Scan the below QR



Android



iOS

**Note:**

1. Application for renewal of Registration Certificate can be filed as early as 180 days prior to expiry date of Registration Certificate. You can file application for renewal or modification of Registration Certificate by login into FSSAI's Food Safety Compliance System(<https://foscoc.fssai.gov.in>) with your user id and password or call us at 1800112100 for any clarification.
2. This Registration Certificate is only to commence or carry on food businesses and not for any other purpose.

3. This is computer generated Registration Certificate and doesn't require any signature or stamp by authority.
4. This Registration Certificate is allowed to conduct food businesses activities having annual turnover upto Rs. 12 Lacs only.

Product Annexure



**Registration Certificate**  
**Government of Uttarakhand**  
**Department of Food Safety**  
**Food Safety and Standards Authority of India**  
**Registration Certificate under FSS Act, 2006**



उत्तराखण्ड शासन

पंजीकरण संख्या / Registration Number: **22625066000271**  
 Detail(s) of Food Item

[Note: Only standardised food products are allowed to be manufactured as per the list available on FoSCoS.]

Other than Manufacturer Unit	
Sl. No.	Name of the food category
1	16 - Prepared Foods
2	15 - Ready-to-eat savouries
3	18- Indian Sweets and Indian Snacks & Savouries products
4	07 - Bakery products

## Validation And Renewal Annexure



**Registration Certificate**  
**Government of Uttarakhand**  
 Department of Food Safety  
**Food Safety and Standards Authority of India**  
**Registration Certificate under FSS Act, 2006**



उत्तराखण्ड शासन

पंजीकरण संख्या / Registration Number: 22625066000271

Validity From	Validity Upto	Issued On	Fee Paid	Type
27-11-2025	26-11-2030	27-11-2025	500 INR	New

**Suspension History**


S.No	History	Date
	N/A	

**Current Status of Registration:** Registration Certificate issued**Note:**

1. Application for renewal of Registration Certificate can be filed as early as 180 days prior to expiry date of Registration Certificate. You can file application for renewal or modification of Registration Certificate by login into FSSAI's Food Safety Compliance System(<https://foscoc.fssai.gov.in>) with your user id and password or call us at 1800112100 for any clarification.

## Registration ID Card

Registration ID Card		
	<b>Registration ID:</b> 22625066000271	
	<b>Valid Upto:</b> 26-11-2030	उत्तराखण्ड शासन
	<b>Name:</b> SHRI JANKI KUTIYA DHARMARTH TRUST	
	<b>Address:</b> LEESE NO- 52 BRHAMPURI, TAPOVAN, Tapowan, Narendranagar, Tehri Garhwal, Uttarakhand - 249192	
	<b>KOB:</b> Food Vending Establishment	
	<b>Govt ID Card:</b> N/A	
<b>Issuing Authority:</b> Tehri Garhwal		<b>Issued On:</b> 27-11-2025
<b>[Disclaimer: This Registration ID card is issued only for the provisions laid down under Food Safety and Standards Act, 2006 and hence, shall not be used for any other purpose.]</b>		



जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

एम-ब्लॉक, द्वितीय तल, नई टिहरी।

E-mail : dsotehri11@gmail.com

पत्रांक:- 774/पेट्रोलियम अनु0/2025-26,

दिनांक : 13 अगस्त, 2025

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल।

मा0 हरित प्राधिकारण में योजित मूल आवेदन संख्या-961/2024 नितिन देव  
बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के सम्बन्ध  
में।

DPO (नैफिमि गंगी)

विषय:-

Mullee

महोदया,  
जिलाधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल।

13/8/25

उपर्युक्त विषयक कृपया जिला कार्यालय के पत्र संख्या 119/जिला गंगा समिति  
(2025-26) टिहरी गढ़वाल दिनांक 08 अगस्त, 2025 का संज्ञान लेने का कष्ट करना चाहें। जिसके  
द्वारा मा0 हरित प्राधिकारण में योजित मूल आवेदन संख्या-961/2024 नितिन देव बनाम  
उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के सम्बन्ध में नवीनतम कार्यवाही की  
सूचना यथा शीघ्र जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

महोदया अवगत कराना है कि सम्बन्धित प्रकरण के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र  
संख्या 743/ दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या 865/दिनांक 14 नवम्बर, 2024  
के द्वारा स्वामी/प्रबन्धक ओशो गंगा धाम (जानकी कुटिया), पट्टा संख्या 52, ब्रहमपुरी नरेन्द्रनगर,  
टि0ग0 को परिसर के कीचन में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किये जाने के दृष्टिगत प्रतिउत्तर  
उपलब्ध कराने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। साथ ही समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति  
निरीक्षकों को पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में अपने क्षेत्रान्तर्गत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू  
गैस सिलेण्डरों के सम्बन्ध में नियमित रूप से प्रवर्तन कार्य करते हुए लिखित आख्या उपलब्ध कराने  
के निर्देश दिये गये थे।

क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, चौहदबीघा द्वारा अपने पत्र संख्या 3022/दिनांक 14 नवम्बर,  
2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 14.11.2024 को ओशो गंगा धाम, ब्रहमपुरी नरेन्द्रनगर,  
टिहरी गढ़वाल के भोजनालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पर भोजनालय एवं  
स्टोर में घरेलू सिलेण्डर नहीं पाये गये। भोजनालय में कमर्शियल एल0पी0जी0 सिलेण्डरों उपयोग हो  
रहे थे। कमर्शियल एल0पी0जी सिलेण्डर के कागजाद व रसीद आदि मांगने पर प्रबन्धक/स्वामी  
उपलब्ध नहीं करवाये पाये। उनके द्वारा लिखित अवगत कराया गया कि ऋषि गैस सर्विस, ऋषिकेश  
द्वारा उन्हें कमर्शियल गैस की आपूर्ति की जाती है। जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित गैस एजेन्सी से  
ओशो गंगा धाम को आवंटित कमर्शियल एल0पी0जी कनैक्शन का विवरण एवं सिलेण्डर की रिफिल  
पर रसीद निर्गत न करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया।

उपरोक्त के क्रम में श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट (ओशो गंगा धाम ) ब्रहमपुरी  
ऋषिकेश ने अपने पत्र दिनांक 14.12.2024 के द्वारा उक्त नोटिस का उत्तर दिया गया, जिसमें  
उनके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त पत्र के अनुपालन में श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए  
दिनांक 18.11.2024 को कमर्शियल गैस सिलेण्डर के लिए रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है। उक्त के  
क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1102/पेट्रोलियम अनु0/2024-25 दिनांक 30 दिसम्बर, 2024  
के द्वारा कार्यवाही आख्या महोदय की सेवा में भी सादर प्रेषित की गयी थी।

महोदय उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रीय  
खाद्य अधिकारी, चौहदबीघा ने अपने पत्र संख्या 1303/दिनांक 12 अगस्त 2025 के द्वारा अवगत  
कराया है कि उनके द्वारा 11 अगस्त, 2025 को मै0 गंगा धाम (श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट  
(रजि0) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय भोजनालय में एल0पी0जी0 का कमर्शियल  
सिलेण्डर संयोजित था। इस कमर्शियल सिलेण्डर के कागजात मांगने पर उनके द्वारा कमर्शियल  
सिलेण्डर का रजिस्ट्रेशन उपलब्ध कराया गया। मै0 उमा गैस सर्विस, ऋषिकेश द्वारा दिनांक 18.11.  
2024 को श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट, ब्रहमपुरी, ऋषिकेश को कमर्शियल कनैक्शन निर्गत किया  
गया है तथा उनके द्वारा दिनांक 18.11.2024 एवं दिनांक 03.04.2025 को एल0पी0जी रिफिल  
करवायी गयी है। (छायाप्रति संलग्न।)

अतः महोदय के निर्देशों के क्रम में कार्यवाही आख्या सादर प्रेषित है। कृपया प्राप्ति  
स्वीकार करने का कष्ट करना चाहें।

R. No. 5296 /ERK  
पत्रिका सं० 12 दिनांक 13/8/25

महोदय,

जिला पूर्ति अधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल।

mail.

॥ कार्यालय क्षेत्रीय खास अधिकारी, चौदहवींघा, मुनिकीरेती ॥

पत्रांक- 1303 / 40 प्रवर्तन/2025 26 दिनांक 12 अगस्त, 2025  
सेवा में,

जिला पूर्ति अधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल।

विषय- गा0 हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख-961/2024, नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-749/पेट्रोलियम अनु0/2025-26, दिनांक 08 अगस्त, 2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मै0 गंगाधाम (जानकी कुटिया) का स्थलीय निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त पत्र के अनुपालन में मेरे द्वारा दिनांक 11.08.2025 को मै0 गंगाधाम (श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि0) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय भोजनालय में एल0पी0जी0 का कोर्मशियल सिलेण्डर संयोजित था। इस कोर्मशियल सिलेण्डर के कागजात मांगने पर उनके द्वारा कोर्मशियल सिलेण्डर का रजिस्ट्रेशन उपलब्ध कराया गया। मै0 उमा गैस सर्विस, ऋषिकेश द्वारा दिनांक 18-11-2024 को श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट, ब्रहमपुरी, ऋषिकेश को कोर्मशियल कनेक्शन निर्गत किया गया है (छाया प्रति संलग्न)।

मै0 उमा गैस सर्विस, ऋषिकेश से से उक्त कनेक्शन पर निर्गत कोर्मशियल गैस की सूचना मांगी गयी, तो उनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.08.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा दिनांक 18-11-2024 एवं 03-04-2025 को एल0पी0जी0 रिफिल करवायी गयी है (छाया प्रति संलग्न)।

अतः आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

पेट्रो-पटल

जिला पूर्ति कार्यालय

पेट्रो-पटल  
रजि. संख्या 965  
दिनांक 12/08/2025

भवदीय

12.8.25

क्षेत्रीय खास अधिकारी,  
चौदहवींघा, मुनिकीरेती

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

REGISTERED OFFICE: 17, JAMSHEDJI TATA ROAD

MUMBAI- 400 020



ID CODE	DOCUMENT TYPE
1	Subscription Voucher

DOC NO	DATE	THE FILING PLANT NAME		PLANT CODE			
1013990	18/11/2024	HP GAS, WASHIM		2144			
CONSUMER NO	DEALER CODE	DEALER'S NAME AND ADDRESS					
400330	41029260	USA GAS SERVICE SBIAT SHOPPING COMPLEX SHOP 7, OPP BHARUWADI MURSHID HOVAL HARGHAR ROAD, RISHIKESH, RISHIKESH RISHIKESH UTTARAKHAND 249197					
CONNECTION	REGISTRATION		EQUIPMENT	CODE	PKTS	AMOUNT	
TYPE   NATURE	NO	R/R/D	CYLINDER	06A	5	13265.00	
1   4	DATE	18/11/2024	REGULATOR	06T	0	0.00	
AMOUNT IN WORDS		Rupees Twelve thousand only				TOTAL	13265.00
CONSUMER NAME		SHREE JANAKI KUTIYA DHARMAJI TRUST					
CONSUMER ADDRESS		PLATE NO. 52, RAJNIPATI ROAD, BHARUWADI, RISHIKESH RISHIKESH RISHIKESH UTTARAKHAND 249197					
OLD PARTICULARS			DOCUMENT	NO.	DATE		
DEALER CODE			ORIGINAL SV	1013990	18/11/2024		
FILING PLANT CODE			CURRENT SV				
CONSUMER NO			ADDL SV				
OIL COMPANY			TV/CTA/SVCD				

1. Hindustan Petroleum Corporation Limited (hereinafter called "the corporation") loans to the consumer and the consumer takes on loan from the corporation cylinders and pressure regulator as hereinafter collectively called "the equipment" required for the supply of the corporation's product viz. "HP gas" (hereinafter called the "gas")

2. The consumer shall deposit with the corporation an amount in accordance with the corporation's tariff in force from time to time as security for the due fulfillment by the consumer of his obligations hereunder. The corporation shall be under no obligation with regard to the manner of use or disposal of the funds received as deposit from the consumer nor shall it pay to the consumer any interest thereon.

3. The consumer shall remain responsible to the corporation for the safe custody of the equipment and shall not sell, mortgage or otherwise dispose of the equipment or create any interest thereon to the prejudice of the corporation.

4. The consumer shall not remove the equipment to any address other than that shown on the obverse thereof without obtaining the prior written permission of the corporation's dealer concerned hereinafter called "the dealer". Further, in the event of the consumer's departure from the area serviced by the dealer, he shall return the equipment to the dealer.

5. The consumer shall not attempt to repair the equipment or cause or permit anyone other than the corporation to do the same and shall permit the dealer to remove the equipment for repair hereinafter permitted. The consumer shall not exchange the equipment with or have the cylinder refilled by anyone other than the corporation or the dealer, nor shall use the cylinder for any use other than as a container for the gas supplied by the corporation.

6. The consumer shall be liable for any loss of or damage to the equipment or any part thereof and shall reimburse to the corporation the value of the missing or damaged equipment or part of insurance with the corporation's tariff in force on the date of reimbursement.

7. The corporation and/or the dealer shall not be responsible for any failure and/or delay in supplying the gas to the consumer if such supply has been delayed, hindered or prevented by any circumstances whatsoever be the control of the corporation and/or the dealer.

8. Any leak by the dealer to the consumer of the gas appliances and their parts and accessories including rubber tubing/ suraksha hose used for connecting the appliances to the equipment as fitted by the dealer on his own account and in his own right.

9. The consumer shall use only appliances of a type approved by the ISI or the corporation.

10. All necessary installation work including the connection/disconnection of cylinder to/from the appliances and/or pressure regulator and the work of repairs to appliances and the replacement of rubber tubing shall be carried out at the consumer's expense and on his own responsibility by the dealer and not on behalf of corporation. The fact that the consumer is supplied "HP gas" shall not be deemed to impose any liability on the corporation with regard to the fitness or otherwise of the installation and/or repair work. The corporation and/or the dealer and/or the person authorized by or for them shall, however, have the right to inspect the installation at any time and, if considered necessary, for reasons of safety, to refuse to supply the gas to the consumer.

11. The corporation shall not be liable for any loss or damage caused to any person or property as a result of the installation and/or the use of the gas by the consumer. In the event of any accident involving the consumer's installation, he shall forthwith inform the dealer.

12. The corporation as well as the consumer shall be at liberty to terminate the contract at any time by giving 15 days' notice in writing. On termination of this contract the consumer shall return the equipment to the corporation and/or the dealer, thereafter refund the balance of the deposit made by the consumer with the corporation after deducting therefrom such amount as may be due to the corporation.

13. As per the clause of India notification dated 10<sup>th</sup> September, 2009 on LPG control order, 2000 a "household" means a family consisting of husband, wife, unmarried children and dependents living together in a dwelling and having common kitchen can have one LPG connection in their "household" and in case if such family is having or avails a piped natural gas connection of any type the LPG connection will be surrendered within 60 days failing which HPCL will cancel the LPG connection or the Refills can be taken at Non Subsidised rates.

14. The consumer shall pay the stamp duty, if any, in respect of the subscription voucher.

For subscription voucher only  
(deposit will not be refunded without production of this document)

The consumer certifies: I/we acknowledge having received from HPCL the quantity of HP gas cylinder(s) and pressure regulator(s) mentioned in the no. column hereof on loan on the date mentioned above and by which I/we agree to abide. I/we have also received the HP gas instruction card.

The dealer certifies: I/we received on behalf of Hindustan petroleum corporation Ltd, the amount mentioned above being the deposit of HP gas cylinder(s) and pressure regulator(s) as mentioned in the no. column hereof.

For termination voucher only  
The consumer certifies: I/we declare that I/we have received the amount as mentioned above being the balance of the amount of deposit to my/bour credit in accordance with the HP gas distributor's certificate: equipment received in good condition. THIS TV is valid for one year.

DATE	DEALER'S SIGNATURE	TO BE SIGNED IN PRESENCE OF EACH OTHER	DATE	CONSUMER'S SIGNATURE
------	--------------------	--	------	----------------------

UMA GAS SERVICE

विषय: ...

विषय: ...

सं-दर्श: ...

महोदय, ...

...

...

...



your friendly gas



कायालय,  
जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।  
एम-ब्लॉक, द्वितीय तल, नई टिहरी।  
E-mail : dsotehri111@gmail.com

पत्रांक:- 749/पेट्रोलियम अनु0/2025-26,

दिनांक : 08 अगस्त, 2025

DPO (नमामि गंगा)

श्री मनोज बर्त्वाल,  
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी,  
चौदहबीघा, टिहरी गढ़वाल।

जिलाधिकारी

टिहरी गढ़वाल 12/8/25

विषय:- मा0 हरित प्राधिकारण में योजित मूल आवेदन संख्या-961/2024 नितिन देव  
बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के सम्बन्ध  
में।

उपर्युक्त विषयक जिला कार्यालय के पत्र संख्या 119/जिला गंगा समिति  
(2025-26) टिहरी गढ़वाल दिनांक 08 अगस्त 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,  
जिसके द्वारा मैसर्स ओशों गंगा धाम (जानकी कुटिया) के सम्बन्ध में नवीनतम कार्यवाही की  
सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। प्रकरण मा0 एन0जी0टी से सम्बन्धित है एवं  
सितम्बर के प्रथम सप्ताह में प्रकरण की सुनवाही नियत है।

आपने अपने पत्र संख्या 3022/40-गैस निरीक्षण/2024-25 दिनांक 14  
नवम्बर, 2024 के द्वारा अवगत कराया था कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में ऋषि गैस सर्विस,  
ऋषिकेश से मै0 ओशों गंगा धाम (जानकी कुटिया) ब्रहमपुरी नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल को  
आवंटित कामर्शियल एल0पी0जी कनैक्शन का विवरण एवं एल0पी0जी0 सिलेण्डर की रिफिल  
पर रसीद निर्गत न करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया था जो अभी तक कार्यालय में  
अप्राप्त है।

मैसर्स ओशों गंगा धाम (जानकी कुटिया) ने अपने पत्र दिनांक 14 दिसम्बर,  
2024 के द्वारा अवगत कराया था कि उनके ट्रस्ट द्वारा दिनांक 18.11.2024 को कामर्शियल गैस  
सिलेण्डर के लिए पंजीकरण कर दिया गया है।

अतः उक्त पत्र आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि आप  
उक्तानुसार ट्रस्ट का स्थलीय निरीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए  
सम्बन्धित प्रकरण के सम्बन्ध में विस्तृत जाँच आख्या साक्ष्यों सहित अतिशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को  
उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। जिससे प्रकरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदया को  
अवगत कराया जा सके।

संलग्न:- यथोक्त।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदया के अनुपालनार्थ सादर प्रेषित।

जिला पूर्ति अधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल।

जिला पूर्ति अधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल।

EV 183  
AN-226/ERIK  
28-10-2025



**LIFE**  
Lifestyle For  
Environment

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ई-115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून-248001

टेलीफोननं.-0135-3593200

पत्रांक सं०-यूकेपीसीबी/आरओडी/सा-73 (III)/2025-26/2714-2277

दिनांक 25/10/25

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
गौरा देवी पर्यावरण भवन  
46बी., आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड  
देहरादून।

Adm/oc/DPO (AG)

जिलाधिकारी  
टिहरी गढ़वाल  
28-10-2025

विषय- M/s Shri Janki Kutiya Dharmarth Trust (Osho Ganga Dham), Brahampuri, Rishikesh, Narendranagar, Tehri के सीलिंग की कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या-UKPCB/HO/G-183-806/2025/991 Date 11.09.2025 के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा ट्रस्ट के प्रतिनिधि स्वामी प्रेम चैतन्य जी की उपस्थिति में दिनांक 04.10.2025 को ट्रस्ट के मेन ऑफिस को सील कर दिया गया एवं इस कार्यालय के पत्रांक संख्या-यूकेपीसीबी/आर.ओ.डी./सा-73(Vol-2)/2025-26/2255-2074 दिनांक 20.09.2025 के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल के पत्रांक संख्या-3039/वि0वि0ख0टि0/दिनांक 04.10.2025 के द्वारा परिसर पर स्थापित विद्युत संयोजन को दिनांक 03.10.2025 को स्थाई विच्छेदन कर दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

उक्त कार्यवाही का विवरण संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(अमित पोखरियाल)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-प्रभारी अधिकारी कृते जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को उनके पत्रांक संख्या-119/जिला गंगा समिति (2025-26) टिहरी गढ़वाल दिनांक 08 अगस्त, 2025 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

**UTTARAKHAND POWER CORPORATION LTD.**

(उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०)

ROD/ UKPCB

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER  
(Govt of Uttarakhand Undertaking)  
ELECTRICITY DISTRIBUTION DIVISION TEHRI  
TEHRI GARHWAL  
TELE. ☎ : 01376-233117  
FAX NO : 01376-233117  
E-Mail :- eddteb@yahoo.com



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
(उत्तराखण्ड सरकार का उपकरण)..... 25.7.25  
विद्युत वितरण विभाग, टिहरी  
टिहरी गढ़वाल  
दूरभाष नं० 01376-233117..... 13/10/25  
फैक्स नं०: 01376-233117  
E-Mail :- eddteb@yahoo.com

पत्रांक:-3039 / वि०वि०ख०टि० /

दिनांक:-04.10.2025

विषय:-

M/s Shri Janki Kutliya Dharmarth Trust, (Osho Ganga Dhaam), Brahmpuri,  
Rishikesh, Tehri के विद्युत विच्छेदन के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय अधिकारी,  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
ई-115, नेहरू कालोनी, देहरादून।

उपरोक्त विषयक आप अपने कार्यालय पत्रांक यूकेपीसीबी/आरओडी/सा-73 (Vol-2)/2025-26/2255-2074 दिनांक 20.09.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत संयोजन को विच्छेदन करने हेतु लिखा गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत संयोजन को दिनांक 03.10.2025 को स्थाई विच्छेदित कर दिया गया है।

अतः सूचनार्थ प्रेषित।

  
(अमित आनन्द)  
अधिशासी अभियन्ता

बौद्ध मुद्रालय के पत्रांक सं० 241PCB/Hof/Rev-183-806/2025/991 दिनांक 11.9.2025 के अउपालन में आज दिनांक 04/10/2025 को मे० श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट (अशोक गंगा धाम) बृहस्पति (बृहस्पति) नरेन्द्र नगर दिल्ली गढवाल के मेन इन्फिस को सील किया गया खिलिंग के समय श्री स्वामी ऐम चेतन्य जी उपस्थित थे सिटीकरण के समय विद्युत विभाग के एफ डी ओ श्री नरेन्द्र सिंह नेगी द्वारा इरमास पर अकाल कराया गया छि दिनांक 31/10/2025 को उक्त आश्रम का विद्युत विच्छेदन कर दिया गया है जिसे ध्यान साधना कार्यकारी के माध्यम से राज्य बोर्ड को उचित की जायेगी। खिलिंग के समय आश्रम के स्वामीजी का क्या गया छि खिलिंग की संस्था उन के द्वारा की जायेगी एवं आश्रम का इन्चार्ज में श्री नरेन्द्र सिंह स्वामी अक्षय जी

आश्रम के प्रतिनिधि का नाम

श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट (अशोक गंगा धाम)  
 बृहस्पति, तपोवन, बदीनाथ रोड (बृहस्पति)  
 जिला-दिल्ली नदवाले (बृहस्पति)  
 4/10/25

—  
 (Rasinder Pradhan)  
 SA

श्री.  
 4/10/2025  
 (S.S. Chauhan)  
 ASO



D.P. (N.B.)

अधिकारी फायर स्टेशन नरेन्द्रनगर जनपद टिहरी गढ़वाल।  
दिनांक: दिसम्बर 08, 2025।

प्रभारी अधिकारी  
कृते- जिलाधिकारी  
जनपद टिहरी गढ़वाल।

विषय-: मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 961/2024, नितिनदेव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आपके आदेश पत्रांक-:147/जिला गंगा समिति/एन.जी.टी.(2025-26) नई टिहरी, दिनांक दिसम्बर 04, 2025 जोकि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 961/2024, नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 के अनुपालन में प्रतिवाद संख्या 05 मैसर्स आशो गंगा धाम (जानकी कुटिया) को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 22.06.2025 के द्वारा उक्त संस्थान में अग्निनिरोधक व्यवस्थाओं का प्रावधान नहीं किये जाने के क्रम में अतिथि तक कृत कार्यवाही का विवरण उपलब्ध किये जाने विषयक है।

उपरोक्त क्रम में सादर अवगत कराना है कि पूर्व में सम्बन्धित संस्थान को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.10.2024, 14.01.2025 को मानकानुसार अग्निशमन व्यवस्थाओं को प्रावधान किये जाने हेतु सुझाव प्रेषित किये गये, दिनांक 17.06.2025 को सम्बन्धित संस्थान का निरीक्षण किया गया, तदतिथि को सम्बन्धित के द्वारा दिये गये सुझावों के अनुरूप अग्निनिरोधक व्यवस्थाओं का प्रावधान नहीं किया गया था, पुनः मुझ अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 05.12.2025 को सम्बन्धित संस्थान का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान उपरोक्त संस्थान के द्वारा निम्नलिखित प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है-:

- |  |   |             |
|--|---|-------------|
| 1. ए.बी.सी. फायर एक्सटिंग्यूशर 04 किग्रा0 क्षमता | - | 09 अदद।     |
| 2. ए.बी.सी. फायर एक्सटिंग्यूशर 06 किग्रा0 क्षमता | - | 03अदद।      |
| 3. सी.ओ.2 फायर एक्सटिंग्यूशर 4.5 किग्रा0 क्षमता  | - | 02 अदद।     |
| 4. होजरील  | - | 02 अदद।     |
| 5. फायर अलार्म                                   | - | 01 अदद।     |
| 6. समरसिबल पम्प                                  | - | 01 अदद।     |
| 7. रिजर्व वाटर टैंक (5000X02)                    | - | 10,000 ली0। |

निरीक्षण तिथि दिनांक 05.12.2025 को उरोक्त उपलब्ध प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्थायें कार्यशील एवं सतोषजनक दशा में हैं।

अतः उपरोक्तानुसार कृपया रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

  
(शिकर चन्द रमोला)  
प्रभारी अग्निशमन अधिकारी  
नरेन्द्रनगर, (टि0ग0)।

प्रतिलिपि-:मुख्य अग्निशमन अधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल को कृपया सादर सेवा में प्रेषित है।

187 5347 IERK.....  
R. No. ....  
पंजिका सं० 12 दिनांक 25/6/25



अग्निशमन अधिकारी  
पत्रांक-एफ0एस0/नि0अ0/2023,

फायर स्टेशन नरेन्द्रनगर जनपद टिहरी गढ़वाल।  
ADMI/OE/ALC-IX  
दिनांक जून 25, 2025।

DPD (तमामि गम)

अपर जिलाधिकारी  
जनपद टिहरी गढ़वाल।

जिलाधिकारी  
टिहरी गढ़वाल।  
24/6/25

महोदय,

कृपया आपके आदेश पत्रांक: 102/जिला गंगा समिति टि0ग0/2025-26 नई टिहरी, दिनांक 11.06.2025 जो कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 961/2024, में पारित आदेश संख्या 26.05.2025 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 05, मैसर्स ओशो गंगा धाम (जानकी कुटिया) को इस कार्यालय के समसख्यंक पत्र दिनांक 15.10.2024 में दिये गये सुझाव के अनुरूप उचित कार्यवाही किये जाने विषयक है।

उपरोक्तानुसार इस कार्यालय के पत्रांक-: एफ0एस0/नि0अ0/2023, दिनांक 15.10.2024 के माध्यम से मैसर्स श्री जानकी कुटिया धमार्थ ट्रस्ट (ओशो गंगा धाम) लीज नं0 52, ब्रह्मपुरी, बद्रीनाथ रोड़ टिहरी गढ़वाल, बिन्दुवार सुझाव प्रेषित किये गये हैं, उपरोक्त क्रम में सम्बन्धित संस्थान के द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.11.2024 के माध्यम से इस कार्यालय से दिये गये सुझाव के सम्बन्ध में राज्य एवं स्थानीय प्रशासन के द्वारा जारी नियमों एवं आदेशों की प्रति उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी, जिसके सापेक्ष इस कार्यालय के समसख्यंक पत्र दिनांक 14.01.2025 को सम्बन्धित संस्थान को एन0बी0सी0 2016, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों की छायाप्रति उपलब्ध कराई गयी है।

उपरोक्त क्रम में मुझ अद्योहताक्षरी के द्वारा दिनांक 17.06.2025 को सम्बन्धित संस्थान का निरीक्षण किया गया, सम्बन्धित के द्वारा अभी तक अपने संस्थान में दिये गये सुझाव के अनुरूप अग्नि निरोधक व्यवस्थाओं का प्रावधान नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या कृपया सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक-: यथोपरि।

  
(शिकर चन्द रामोला)  
प्रभारी अग्निशमन अधिकारी  
नरेन्द्रनगर, (टि0ग0)।

प्रतिलिपि-: मुख्य अग्निशमन अधिकारी महोदय जनपद टिहरी गढ़वाल को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

R. No. 5347 IERK.....  
पंजिका सं० 12 दिनांक 25/6/25

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन नरेन्द्रनगर जनपद टिहरी गढ़वाल।  
पत्रांक-: एफ0एस0/नि0अ0/2023. दिनांक जनवरी 14, 2025।

स्वामी/प्रबन्धक

श्री जानकी कुटिया धमार्थ ट्रस्ट(ओशो गंगा धाम)  
लीज न0 52, ब्रह्मपुर, बद्रीनाथ रोड़,  
टिहरी गढ़वाल।

कृपया आपके पत्र दिनांकित 26.11.2024 जो कि आपके द्वारा इस कार्यालय के समसख्यंक पत्र दिनांक 15.10.2024 के क्रम में उल्लेख कर प्रेषित किया गया है, जिसमें आपके द्वारा अपने आश्रम/संस्थान में योग, ध्यान, साधना हेतु प्रयोजन का उल्लेख कर राज्य एवं स्थानीय प्रशासन के नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करने के दृष्टिगत सम्बन्धित नियमों की जानकारी उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्तानुसार जैसा कि आप विद्वित है कि आपके आश्रम/संस्थान में योग, ध्यान तथा साधना के दृष्टिगत आम जनमानस का आवागमन बना रहता है, साथ ही आपके द्वारा अपने परिसर में सम्बन्धित पर्यटक/योग साधकों को ठहराया जाना भी प्रकाश में आया है, जिस कारण उक्त स्थल पर अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान किया जाना आम जनमानस के हित में अति आवश्यक है, आपके परिसर के आसपास वन क्षेत्र भी उपलब्ध है, ग्रीष्मकाल में वनाग्नि के दृष्टिगत भी उक्त परिसर में पर्याप्त अग्नि-निरोधक व्यवस्थाओं का उपलब्ध रहना आवश्यक है, ताकि आप भी किसी विपरीत परिस्थितियों में सम्बन्धित प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों का प्रयोग अपनी सुरक्षा हेतु कर सकें।

आपके परिसर/संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के पार्ट-04, फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के टेबल-07 के क्रमांक संख्या D, Type of Building Occupancy Hotels (A-5) III Floor area exceeding 1000 m<sup>2</sup> on any of the floor में रखते हुये सम्बन्धित टेबल में उल्लेखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्रावधान आपके द्वारा किया जाना आवश्यक है, (छायाप्रति संलग्न) उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के शासनादेश संख्या-837/वी-2-2016-127 (आ0)/15-टी0सू0 देहरादून दिनांक: 03 जून, 2016 के मानकानुसार भवन निर्माण एवं पर्याप्त सैट बैंक का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है। (छायाप्रति संलग्न)

उपरोक्त के अतिरिक्त आपके आश्रम/संस्थान में योग, ध्यान तथा साधना के दृष्टिगत आम जनमानस का आवागमन बने रहने एवं उनके प्रवास के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 191/XXXVI(3)/2022/36(1)/2022 दिनांक 21 जुलाई 2022 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का उल्लेख किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

अतः आपके द्वारा इस कार्यालय से अपेक्षित दिशा-निर्देशा, नियम एवं आदेशों की छायाप्रति की अपेक्षा की गयी है, जिसकी जानकारी आपको विस्तृत रूप में दी जा रही है, उपरोक्तानुसार नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के पार्ट-04, फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के टेबल-07 एवं उक्त शासनादेश के अनुरूप अग्नि-निरोधक व्यवस्थाओं का प्रावधान कर अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-: यथोपरि।

Received  
Mani Kumar  
(Manager)  
02.36745

(शंकर चन्द रामोला)  
प्रभारी अग्निशमन अधिकारी  
नरेन्द्रनगर, (टि0ग0)।

Table 7 — (Continued)

Sl No.	Type of Building Occupancy	Type of Installation										Water Supply (litre)		Pump Capacity (litre/min)	
		Fire Extinguisher	First Aid Hose Reel	Wet Riser	Down Corner	Yard Hydrant	Automatic Sprinkler System	Manually Operated Electronic Fire Alarm Systems (see Note 1)	Automatic Detection and Alarm System (see Note 2)	Under-ground Static Water Storage Tank Combined Capacity for Wet Riser, Yard Hydrant and Sprinklers per Set of Pumps	Terrace Tank over Respective Terrace	Pump Near Under-ground Static Water Storage Tank (Fire Pump) with Minimum Pressure of 3.5 kg/cm <sup>2</sup> at Remote Location	Terrace Tank Level with Minimum Pressure of 3.5 kg/cm <sup>2</sup>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
2)	15 m and above but not exceeding 35 m in height	R	R	NR	R	NR	R (see Note 4)	R (see Note 8)	NR	75 000	5 000	(see Note 10)	NR		
3)	Above 35 m but not exceeding 45 m in height	R	R	R	NR	R	R (see Note 4 and Note 9)	R	NR	150 000	10 000	(see Note 11)	NR		
4)	Above 45 m in height but not exceeding 60 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	R	200 000	10 000	(see Note 12 & Note 13)	NR		
5)	Above 60 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	R				450		
d)	Hotels (A-5)												450		
1)	Less than 15 m in height	R	R	NR	NR	NR	R (see Note 4)	R	NR	NR	5 000 (5000)	NR	(450) (see Note 6)		
	1) Floor area not exceeding 300 m <sup>2</sup> on any of the floor	R	R		NR	NR	R (see Note 4)	R	R	10 000 for every 500 m <sup>2</sup> floor area subject to minimum of 50 000 (see Note 7)	10 000 (3000) (see Note 6)	(see Note 14 in case of provision of wet riser)	450 (450) (see Note 6)		
	ii) Floor area exceeding 300 m <sup>2</sup> but not more than 1 000 m <sup>2</sup> on any of the floor	R	R	R	NR	NR	R (see Note 4)	R	R	100 000 (see Note 7)	10 000 (see Note 4)	(see Note 15 and Note 14)	NR		
	iii) Floor area exceeding 1 000 m <sup>2</sup> on any of the floor	R	R	R	NR	NR	R (see Note 15)	R (see Note 1)	R						

NATIONAL BUILDING CODE OF INDIA 2016

## (ii) व्यवसायिक/कार्यालय

व्यवसायिक/ कार्यालय भूखण्ड का क्षेत्रफल(वर्गमीटर में)	सेट बैक (मीटर में) न्यूनतम आवश्यक							
	मैदानी क्षेत्र				पर्वतीय क्षेत्र			
	अग्र	पृष्ठ	पार्श्व-1	पार्श्व-2	अग्र	पृष्ठ	पार्श्व-1	पार्श्व-2
200 तक	4.5	-	-	-	3.0	-	-	-
400 तक	6.0	2.0	3.0	-	4.0	-	-	-
600 तक	7.5	3.0	3.0	-	5.0	2.0	2.0	-
1000 तक	8.0	3.0	4.0	1.5	6.0	3.0	3.0	1.5
1500 तक	9.0	4.0	4.5	3.0	7.0	4.0	3.5	3.0
3000 तक	10.0	5.0	4.5	4.5	8.0	5.0	4.5	4.5
3000 से अधिक	12.0	6.0	6.0	6.0	9.0	6.0	6.0	6.0
मॉल / मल्टीप्लेक्स :								
4000 तक	14.0	6.0	6.0	6.0	10.0	6.0	6.0	6.0
4001 से 15000 तक	16.0	7.0	7.0	7.0	12.0	6.0	6.0	6.0
15001 से 50000 तक	18.0	8.0	8.0	8.0	14.0	6.0	6.0	6.0
50000 से अधिक	20.0	9.0	9.0	9.0	18.0	6.0	6.0	6.0

## टिप्पणी-

1. भूखण्ड के रिटेनिंग वॉल की ओर भवन निर्माण न्यूनतम 1.2 मीटर खुला छोड़ने के उपरान्त अनुमत्य होगा।
2. व्यवसायिक निर्माण हेतु पार्श्व अथवा पृष्ठ भाग में स्थित सड़क पर कोई ओपनिंग अथवा दुकानें नहीं खोली जायेगी। यदि कोई ओपनिंग/दुकानें पार्श्व अथवा पृष्ठ सेट बैक की ओर खोली जाती है तो ऐसी दशा में उस ओर फ्रन्ट के बराबर सेट बैक छोड़ा जाना अनिवार्य होगा।
3. भूखण्ड की स्थिति एक से अधिक मार्गों पर होने की दशा में (ऐसे भूखण्ड जिसमें पार्श्व/ पृष्ठ सेट बैक आवश्यक नहीं है) फ्रन्ट सेट बैक अधिक चौड़े मार्ग की ओर होगा एवं दूसरे मार्ग की ओर न्यूनतम 3.0 मीटर सेट बैक आवश्यक होगा।

## (स) शिक्षण संस्थायें/चिकित्सा/सामुदायिक सुविधाएं/सभा भवन

भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	सेट बैक (मीटर में) न्यूनतम आवश्यक							
	मैदानी				पर्वतीय			
	अग्र	पृष्ठ	पार्श्व-1	पार्श्व-2	अग्र	पृष्ठ	पार्श्व-1	पार्श्व-2
1000 तक	6.0	4.5	3.6	3.6	4.5	3.6	3.6	3.6
1001 से 3000 तक	7.5	4.5	4.5	4.5	5.0	4.5	4.5	3.6
3001 से 8000 तक	9.0	6.0	4.5	4.5	7.5	5.0	4.5	4.5
8001 से 15000 तक	12.0	6.0	6.0	6.0	9.0	6.0	6.0	6.0
15001 से 35000 तक	15.0	6.0	6.0	6.0	12.0	6.0	6.0	6.0
35000 से अधिक	18.0	6.0	6.0	6.0	15.0	6.0	6.0	6.0

- \* टिप्पणी:- नव प्रस्तावित स्कूलों में (नर्सरी स्कूल को छोड़कर) अग्र सेट बैक की 6.0 मीटर की चौड़ाई को मार्ग की ओर विजिटर पार्किंग हेतु छोड़ते हुये अग्र बाउण्ड्री वॉल का निर्माण किया जायेगा।

\* शाहदेश संख्या-1798, दिनांक 08.12.2016 द्वारा संशोधित।

क्रम संख्या-59 (घ)

पंजीकरण संख्या-UA/DO/DDN/30/2021-2023



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 21 जुलाई, 2022 ई०

आषाढ़ 30, 1944 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 191/XXXVI (3)/2022/36(1)/2022

देहरादून, 21 जुलाई, 2022

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन मा० राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022’ पर दिनांक 20 जुलाई, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 06 वर्ष, 2022 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2 उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 21 जुलाई, 2022 ई० (आषाढ़ 30, 1944 शक सम्बत्)

उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा  
(संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2022)

उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम  
2016 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा  
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- |                           |    |  |
|---------------------------|----|--|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. | (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।<br>(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।  |
| धारा 15 में संशोधन        | 2. | उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2016, (जिसे इसमें इसकी पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), में धारा 15 की उपधारा (4) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा अर्थात् :-<br>“(4) समस्त आवासीय भवन, जो बारह मीटर या इससे ऊँचे हैं तथा औद्योगिक/व्यावसायिक (कवर्ड एरिया 500 वर्ग मीटर से अधिक हो) अधिष्ठान हैं और विस्फोटक, तीव्र ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण अथवा उपयोग करते हैं, को उप निदेशक (तकनीकी) या मुख्य अग्निशमन अधिकारी, यथास्थिति, अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है, अग्निशमन अधिकारी/नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी की संस्तुति के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र उप निदेशक (तकनीकी) के अनुमोदनोपरान्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।” |
| धारा 18 का संशोधन         | 3. | मूल अधिनियम की धारा 18 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :-   |

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 21 जुलाई, 2022 ई0 (आषाढ़ 30, 1944 शक सम्वत्)

3

“बारह मीटर से अधिक ऊँचाई तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक कवर्ड एरिया वाले प्रत्येक भवन चाहे विद्यमान हो या परिनिर्माणाधीन हो, जिसका उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन यथा शारीरिक या मानसिक बीमारी, रोगों या दौर्बल्य से पीड़ित व्यक्तियों, शिशुओं के मामले, स्वास्थ्य लाभकर्ताओं या वयोवृद्ध व्यक्तियों की चिकित्सीय या अन्य उपचार या देखभाल करने या शास्ति या सुधारात्मक निरोध, जिसमें अंतःवासी की स्वतंत्रता निबन्धित हो दुकान, बाजार, शयनवास, होटल या किराये के लिए सुसज्जित कमरों वाले मकान, शैक्षिक संस्थान, सभा भवनों, जहाँ जन समुदाय मनोरंजन, आमोद, सामाजिक धार्मिक, देश-प्रेम सम्बन्धी नागरिक यात्राओं या तत्समय प्रयोजनों के लिये इकट्ठा या एकत्रित होना सम्भावित हो के लिए योजना प्रस्तुत की जाएगी और सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी कि अग्नि से सुरक्षा व्यावहारिक रूप से युक्तियुक्त रूप से प्राप्य है और प्राप्त की जा सकती है।”

व्यावृत्ति

4. उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या: 02 वर्ष, 2022) के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,  
हीरा सिंह बोनाल,  
प्रमुख सचिव।

THI - 1700

## कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

संख्या-151/जिला गंगा समिति/एन0जी0टी0 (2025-26) नई टिहरी दिनांक 11 दिसम्बर, 2025

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
देहरादून।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-961/2024 नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महादेय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-961/2024 नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में आपके द्वारा कार्यालय पत्र संख्या-यूकेपीसीबी/आरओडी/सा-(III)/ दिनांक 25.10.2025 में उल्लेख किया गया है कि ट्रस्ट के प्रतिनिधि स्वामी प्रेम चैतन्य जी की उपस्थिति में दिनांक- 04.10.2025 को ट्रस्ट के मेन ऑफिस को सील कर दिया गया है एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल के द्वारा परिसर पर स्थापित विद्युत संयोजन को दिनांक-03.10.2025 को स्थाई विच्छेदन कर दिया गया है। प्रकरण में मा0 प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन के क्रम में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, नरेन्द्रनगर के द्वारा कार्यालय पत्र संख्या-एफ0एस0/नि0अ0 दिनांक-08.12.2025 (प्रति संलग्न) में उल्लेख किया गया है कि दिनांक-05.12.2025 को सम्बन्धित संस्थान का निरीक्षण किया गया, तथा निरीक्षण के दौरान संस्थान में प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्थायें स्थापित की गयी हैं एवं वर्तमान समय में कार्यशील एवं संतोषजनक दशा में पायी गयी हैं।

उक्तानुसार आपकी अनुपालन आख्या के अनुसार ट्रस्ट के मेन ऑफिस को सील करते हुये विद्युत संयोजन को दिनांक-03.10.2025 को स्थाई विच्छेदन कर दिया गया है, जबकि प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, नरेन्द्रनगर की अनुपालन आख्या के अनुसार ट्रस्ट में प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्थायें स्थापित की गयी हैं एवं वर्तमान समय में कार्यशील एवं संतोषजनक दशा में पायी गयी हैं। उक्त दोनों अनुपालन आख्याओं में विरोधाभाष उत्पन्न हो रहा है। यदि ट्रस्ट को सील/विद्युत विच्छेदन किया गया है, तो अग्नि शमन विभाग द्वारा सील किये गये ट्रस्ट का निरीक्षण कैसे किया गया और बिना विद्युत के ट्रस्ट में स्थापित उपकरणों का संतोषजनक निरीक्षण किस आधार पर किया गया है।

अतः तदनुसार आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये ओशो गंगाधाम(जानकी कुटिया), ब्रहमपुरी, मुनिकीरेती का भौतिक सत्यापन करते हुये संयुक्त अद्यावधिक अनुपालन आख्या तीन (03) दिवस के अन्दर इस कार्यालय को अनिवार्यरूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण जिलाधिकारी महोदया के समक्ष रखा जा सके।

प्रभारी अधिकारी,  
कृते-जिलाधिकारी  
टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि:-

- 01- जिलाधिकारी महोदया की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 02- अग्निशमन अधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

d/c

प्रभारी अधिकारी,  
कृते-जिलाधिकारी  
टिहरी गढ़वाल।



EV 96 195  
18-12-25

R-634/EAK  
18-12-25



क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
ई-115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून-248001  
टेलीफोन नं.-0135-3593200..

पत्रांक सं०-यूकेपीसीबी/आरओडी/एन.जी.टी.-121/2025-26/3243-2495

दिनांक: 15-12-2025

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,  
कृते जिलाधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल।

ADM/oct/DPo (10)

जिलाधिकारी  
टिहरी गढ़वाल  
19-12-25

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-961/2024 नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-961/2024 नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के पत्रांक संख्या 151/जिला गंगा समिति/एन.जी.टी. (2025-26) नई टिहरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2025 के अनुक्रम में मै० ओसो गंगा धाम (जानकी कुटिया) बहमपुरी, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल का दिनांक 12.12.2025 को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अग्निशमन विभाग, टिहरी गढ़वाल के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया।

उपरोक्तानुसार ओसो गंगा धाम (जानकी कुटिया) बहमपुरी, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल की संयुक्त निरीक्षण आख्या व फोटोग्राफ संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(अमित पोखरियाल)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-

1. सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड "गौरा देवी पर्यावरण भवन" 46बी, आई०टी०पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-961/2024 नितिन देव बनाम उत्तराखंड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में ओसो गंगा धाम (जानकी कुटिया) बहमपुरी, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल की संयुक्त निरीक्षण आख्या।


मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-961/2024 नितिन देव बनाम उत्तराखंड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के पत्रांक संख्या 151/जिला गंगा समिति/एन.जी.टी. (2025-26) नई टिहरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2025, प्रकरण ओसो गंगा धाम (जानकी कुटिया) बहमपुरी, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल का दिनांक 12.12.2025 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अग्निशमन विभाग, टिहरी गढ़वाल के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि आश्रम में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत विच्छेदन किया गया, वह अभी पूर्ववत् है एवं जो ऑफिस पूर्व में सील किया गया था वह भी यथावत् पाया गया। निरीक्षण के दौरान आश्रम परिसर में अग्निशमन व्यवस्थाओं हेतु स्थापित उपकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0 सं0	उपकरण का नाम	क्षमता	संख्या
1.	ए0बी0सी0 फायर, एक्सटिंग्यूशर	04 किग्रा.	09
2.	ए0बी0सी0 फायर, एक्सटिंग्यूशर	06 किग्रा.	03
3.	सी0ओ02 फायर, एक्सटिंग्यूशर	4.5 किग्रा.	02
4.	होजरील	—	02
5.	फायर अलार्म	—	01
6.	समरसिबल पम्प	—	01
7.	रिजर्व वाटर टैंक	5000X2	10,000 ली.

उक्त तालिका में वर्णित अग्निशमन उपकरणों में विन्दु संख्या 04, 05 व 06 के संचालन हेतु विद्युत की आवश्यकता होती है, जिनको दिनांक 05.12.2025 को अग्निशमन विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था कर उपकरणों की जाँच की गयी तथा शेष अन्य सभी अग्निशमन उपकरणों के संचालन हेतु विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। संयुक्त निरीक्षण के दौरान एक अन्य कक्ष जो कार्यालय के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, को भी सील किया गया। तथा परिसर में रखे D.G.Set को भी सील किया गया है। वर्तमान में आश्रम में ट्रस्टी, सेवादार एवं कर्मचारी निवासरत हैं। निरीक्षण के दौरान आश्रम प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि आश्रम का संचालन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना जल-वायु सहमति प्राप्त किये कदापि न किया जाये। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न हैं।

उपरोक्तानुसार ओसो गंगा धाम (जानकी कुटिया) बहमपुरी, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल की संयुक्त निरीक्षण आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

  
(एस0एस0 चौहान)  
सहा0वैज्ञा0अधिकारी,  
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
देहरादून

  
शिकर चन्द रामोला  
प्रभारी अग्नि शमन अधिकारी,  
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल

  
(अमित पांखरियाल)  
क्षेत्रीय अधिकारी,  
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
देहरादून



## कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।

संख्या-153/जिला गंगा समिति/एन0जी0टी0 (2025-26) नई टिहरी दिनांक 24दिसम्बर, 2025

उपजिलाधिकारी,  
नरेन्द्रनगर।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-961/2024 नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।


उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-961/2024 नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या-यूकेपीसीबी/आरओडी/सा-(III)/दिनांक 25.10.2025 (प्रति संलग्न) में उल्लेख किया गया है कि ट्रस्ट के प्रतिनिधि स्वामी प्रेम चैतन्य जी की उपस्थिति में दिनांक-04.10.2025 को ट्रस्ट के मेन ऑफिस को सील कर दिया गया है एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल के द्वारा परिसर पर स्थापित विद्युत संयोजन को दिनांक-03.10.2025 को स्थाई विच्छेदन कर दिया गया है। प्रकरण में मा0 प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन के क्रम में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, नरेन्द्रनगर के द्वारा कार्यालय पत्र संख्या-एफ0एस0/नि0अ0 दिनांक- 08.12.2025 (प्रति संलग्न) में उल्लेख किया गया है कि दिनांक-05.12.2025 को सम्बन्धित संस्थान का निरीक्षण किया गया, तथा निरीक्षण के दौरान संस्थान में प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्थायें स्थापित की गयी हैं एवं वर्तमान समय में कार्यशील एवं संतोषजनक दशा में पायी गयी हैं। अनुपालन आख्या के अनुसार ट्रस्ट के मेन ऑफिस को सील करते हुये विद्युत संयोजन को दिनांक-03.10.2025 को स्थाई विच्छेदन कर दिया गया है, जबकि प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, नरेन्द्रनगर की अनुपालन आख्या के अनुसार ट्रस्ट में प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्थायें स्थापित की गयी हैं एवं वर्तमान समय में कार्यशील एवं संतोषजनक दशा में पायी गयी हैं। उक्त दोनों अनुपालन आख्याओं में विरोधाभाष उत्पन्न हो रहा है।

उक्त क्रम में दिनांक 12.12.2025 को उत्तरखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अग्निशमन विभाग के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि आश्रम में विद्युत विभाग द्वारा विच्छेदन किया गया वह अभी पूर्ववत् है एवं ऑफिस जो कि पूर्व में सील किया गया था, वह भी यथावत् पाया गया। निरीक्षण के दौरान आश्रम में अग्निशमन उपकरणों जिनको दिनांक 05.12.2025 को अग्निशमन विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था पर उपकरणों की जांच की गयी। संयुक्त निरीक्षण के दौरान एक अन्य कक्ष जो कार्यालय के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, को भी सील किया गया तथा परिसर में रखे D.G.Set को भी सील किया गया है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त जानकी कुटिया धमार्थ ट्रस्ट(ओशोगंगा धाम) का समुचित औचित्य एवं वर्तमान वास्तविक स्थिति की जांच कर रिपोर्ट दो दिवस के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त प्रकरण में सुनवाई की अग्रिम तिथि दिनांक 04.01.2026 को नियत है।

कृपया प्रकरण में शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न-यथोपरि।

  
 (नितिका खण्डेलवाल) 24/12/25  
 जिलाधिकारी,  
 टिहरी गढवाल।

प्रेषक,

उपजिलाधिकारी,  
नरेन्द्रनगर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल।

संख्या- 734 / आर0ए0 (जांच आख्या) - 2025 नरेन्द्रनगर, दिनांक, दिसम्बर, 26, 2025।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या- 961/2024 नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्रांक संख्या 153/जिला गंगा समिति/एन0जी0टी0 (2025-26) नई टिहरी, 24 दिसम्बर 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अंतर्गत जानकी कुटिया धमार्थ ट्रस्ट (ओशोगंगा धाम) का समुचित औचित्य एवं वर्तमान वास्तविक स्थिति की जांच कर रिपोर्ट दो दिवस के भीतर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में तहसीलदार नरेन्द्रनगर से जांच करवायी गयी, तहसीलदार द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 26.12.2025 में अवगत कराया कि स्थान ब्रहमपुरी स्थित जानकी कुटिया धमार्थ ट्रस्ट (ओशोगंगा धाम) का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 25.12.2025 को किया गया, स्थलीय निरीक्षण में पाया कि उक्त आश्रम में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत संयोजन विच्छेदन किया गया है। विद्युत विभाग द्वारा आश्रम से विद्युत मीटर भी हटा दिया गया है, आश्रम का कार्यालय कक्ष सीलड पाया गया है व आश्रम परिषद में एक जनरेटर सेट पाया गया है, उक्त जनरेटर सेट भी सीलड पाया गया है।

अतः वांछित जांच आख्या महोदय की सेवा में मयमूल दस्तावेज सहित सादर प्रेषित।

सलग्न- यथोपरि।

भवदीय,

  
उपजिलाधिकारी, 26/12/25  
नरेन्द्रनगर।

सेवा में,  
 श्रीमान तहसिलदार महोदय  
 नरेन्द्रनगर टि०ग०

विषय :- मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 961/2024  
 मितिदेव वनाम उत्तराखण्ड सरकार में पारित आवेदन दिनांक 26-05-2025  
 के अनुपालन के सम्बन्ध में

महोदय, उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या 153/  
 जिला गंगा समिति। स्न० जी० टी० (2025-26) नई टिहरी दिनांक 24,  
 दिसम्बर 2025 के अनुपालन में स्थान ब्रह्मपुरी स्थित जानकी कुरिया  
 धर्मार्थ ट्रस्ट (आशौगंगा धाम) का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 25/12/2025  
 को किया गया है, स्थलीय निरीक्षण आख्या निम्नवत है -

कि स्थलीय निरीक्षण में पाया कि उक्त आश्रम में विद्युत विभाग  
 द्वारा विद्युत संयोजन विच्छेदन किया गया है, विद्युत विभाग द्वारा आश्रम  
 से विद्युत मीटर भी हटा दिया गया है, आश्रम का कामलिप कक्ष भी  
 सीलिंग पाया गया है, आश्रम परिसर में एक जनरेटर सेट पाया गया है।  
 उक्त जनरेटर सेट भी सीलिंग पाया गया है।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में प्रेषित है,

उपनिर्वाहिकारी महोदय  
 की सेवा में सं. मि० नरेन्द्रनगर  
 जॉय रिपोर्ट सादर अगस्तित

AY  
 26/12/2025

  
 रा० नि० नरेन्द्रनगर  
 25/12/2025

कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।  
संख्या-153/जिला गंगा समिति/एन0जी0टी0 (2025-26) नई टिहरी दिनांक 24दिसम्बर, 2025

उपजिलाधिकारी,  
नरेन्द्रनगर।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-961/2024 नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-961/2024 नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या-यूकेपीसीबी/आरओडी/सा-(III)/दिनांक 25.10.2025 (प्रति संलग्न) में उल्लेख किया गया है कि ट्रस्ट के प्रतिनिधि स्वामी प्रेम चैतन्य जी की उपस्थिति में दिनांक-04.10.2025 को ट्रस्ट के मेन ऑफिस को सील कर दिया गया है एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल के द्वारा परिसर पर स्थापित विद्युत संयोजन को दिनांक-03.10.2025 को स्थाई विच्छेदन कर दिया गया है। प्रकरण में मा0 प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन के क्रम में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, नरेन्द्रनगर के द्वारा कार्यालय पत्र संख्या-एफ0एस0/नि0अ0 दिनांक-08.12.2025 (प्रति संलग्न) में उल्लेख किया गया है कि दिनांक-05.12.2025 को सम्बन्धित संस्थान का निरीक्षण किया गया, तथा निरीक्षण के दौरान संस्थान में प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्थायें स्थापित की गयी हैं एवं वर्तमान समय में कार्यशील एवं संतोषजनक दशा में पायी गयी हैं। अनुपालन आख्या के अनुसार ट्रस्ट के मेन ऑफिस को सील करते हुये विद्युत संयोजन को दिनांक-03.10.2025 को स्थाई विच्छेदन कर दिया गया है, जबकि प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, नरेन्द्रनगर की अनुपालन आख्या के अनुसार ट्रस्ट में प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्थायें स्थापित की गयी हैं एवं वर्तमान समय में कार्यशील एवं संतोषजनक दशा में पायी गयी हैं। उक्त दोनों अनुपालन आख्याओं में विरोधाभाष उत्पन्न हो रहा है।

उक्त क्रम में दिनांक 12.12.2025 को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अग्निशमन विभाग के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि आश्रम में विद्युत विभाग द्वारा विच्छेदन किया गया वह अभी पूर्ववत् है एवं ऑफिस जो कि पूर्व में सील किया गया था, वह भी यथावत् पाया गया। निरीक्षण के दौरान आश्रम में अग्निशमन उपकरणों जिनको दिनांक 05.12.2025 को अग्निशमन विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था पर उपकरणों की जांच की गयी। संयुक्त निरीक्षण के दौरान एक अन्य कक्ष जो कार्यालय के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, को भी सील किया गया तथा परिसर में रखे D.G.Set को भी सील किया गया है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त जानकी कृतिया धमार्थ ट्रस्ट(ओशोगंगा धाम) का समुचित औचित्य एवं वर्तमान वास्तविक स्थिति की जांच कर रिपोर्ट दो दिवस के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त प्रकरण में सुनवाई की अग्रिम तिथि दिनांक 04.01.2026 को नियत है।

कृपया प्रकरण में शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न-यथोपरि।

Tehsildar (Ngr)

क. ए. ए. अग्निशमन अधिकारी  
SDM (Ngr)  
24/12/25

(नितिका खण्डलवाल)  
जिलाधिकारी,  
टिहरी गढवाल।

*Munim*

R.D. (Ngr)

AY  
-1/2025  
24/12/2025